-1-

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ..../ निग /.......... - 2370-I-16

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री रमेश प्रसाद मरकाम पिता श्री कमल सिंह मरकाम
निवासी ग्राम डुंगरिया, थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. (1)श्री भैरव साहू पिता श्री शंकरलाल साहू निवासी ग्राम परतला, पोस्ट पड़वार, थाना बरेला, तहसील व जिला जबलपुर

(2) श्री कमलेश पटैल पिता श्री जागेश्वर पटैल निवासी 653 पुरानी बस्ती ग्वारीघाट, तहसील व जिला जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1- माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **32/अ-21/2015-16** में पारित **अंतरिम आदेश** दि. 04/07/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता रमेश प्रसाद मरकाम पिता श्री कमल सिंह मरकाम, निवासी ग्राम डुंगरिया, थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **टिकरिया** प.ह.नं. **10 रा.नि.मं. इमलई** तहसील कुण्डम जिला जबलपुर **स्थित भूमि खसरा नं. 52, रकवा 0.990हे. (2.44एकड़)** भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री भैरव साहू पिता श्री शंकरलाल साहू निवासी ग्राम परतला पोस्ट पड़वार थाना बरेला, तहसील व जिला जबलपुर एवं **टिकरिया** प.ह.नं. **10 रा.नि.मं. इमलई** तहसील कुण्डम जिला जबलपुर **स्थित भूमि खसरा नं. 182, 179, रकवा क्रमशः 0.700, 0470हे. कुल रकवा 1. 170हे.(2.89एकड़) भूमि अनावेदक गैर आदिम जनजाति के सदस्य** श्री कमलेश पटैल पिता श्री जागेश्वर पटैल निवासी 653 पुरानी बस्ती ग्वारीघाट, तहसील व जिला जबलपुरको विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22/01/2016 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3- प्रकरण में तहसीलदार कुण्डम द्वारा प्रकरण क्रमांक **30/अ-21/15-16** में प्रतिवेदन दि. 30/03/2016 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत 7.44 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा

रमेश

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST M.P Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA
12 JUL 2016

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 2370–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–7–16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 4–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम टिकरिया प.ह.नं. 10 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुंडम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 52, रकबा 0.990 हैक्टर अनावेदक/गैर आदिम जनजाति सदस्य श्री भैरव साहू को एवं भूमि खसरा नं. 182, 179, रकबा क्रमशः 0.700 एवं 0.470 हैक्टर श्री कमलेश पटेल को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार कुंडम को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को भेजा गया है । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा यह मानकर कि अनुविभागीय	

निगरा.-2370.II/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ. के हस्ताक्षर
	अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख नहीं किया है कि आवेदित भूमि स्वअर्जित है या पैत्रिक इस संबंध में जांच कर स्पष्ट अभिमत हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि तहसीलदार ने सम्पूर्ण जांच कर जो प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विक्रय की जाने वाली भूमि आवेदक ने क्रय की है, इसी प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर को प्रेषित किया है । जिलाध्यक्ष ने अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विचार के जो निर्देश दिए हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं । तहसीलदार के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में जांच उपरांत यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई है, शासकीय नहीं है । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । प्रस्तावित विक्रय में आवेदक पर कोई दबाव/प्रलोभन नहीं है । विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 7.44 हैक्टर भूमि शेष बचेगी । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार से प्राप्त प्रतिवेदन को जिलाध्यक्ष को प्रेषित किया है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उक्त तथ्य को अनदेखा किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रकरण में पुनः प्रतिवेदन मंगाए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम टिकरिया प.ह.नं. 10 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुंडम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 182, 179 रकबा क्रमशः 0.700, 0.470 कुल रकबा 1.170 अनवेदक कमलेश पटेल को तथा ग्राम टिकरिया प.ह.नं. 10	

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ. हस्ताक्षर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – 2370–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	रा.नि.मं. इमलई तहसील कुंडम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 52 रकबा 0.990 हैक्टर अनावेदक श्री भैरव साहू को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– क्रेतागण द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	